

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
22/05/18	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री <u>जगदीश गौडारा</u> ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>80, 180 RTA Act</u> राजस्थान कर्मचारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन्न तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>01/06/18</u> को पेश हो।</p>	<p>ता. 22/05/18</p> <p>क.मि. रेक्टर</p> <p>ज.स. 1.1.18</p> <p>चेतनराज</p> <p>रामलाल</p> <p>शिवराम</p> <p>श्रीधरराम</p>
01/06/18	<p>पत्रावली काज न्याय कायदे डार कमिशन- 2018 डेम्प डोटि गाम पंचायत पनावडा मे रखी गई, वादी व डील व वादीव रुममें उपस्थित / प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के नोटिस तामिल शुद्ध प्राप्त जिनके शामिल पत्रावली किया गया / प्रतिवादी संख्या-2 वाकजू तामिल अनुपस्थित जिनके विरुद्ध एडवोकेट डारिवादी कमल के लक्ष्मी जाली के प्रतिवादी संख्या-1 रुममें उपस्थित जिनकी फीर मे एडवोकेट जवाबदाग पेश किया गया जिनके शामिल पत्रावली किया गया / वादी व डील डार वादी लक्ष्मी के लक्ष्मी के वादी संख्या- 3 pw-1- रामलाल पुत्र लजारास जाति- जाट निवासी- मिठियालरा (पनावडा) व pw-2</p>	

र-वतंत्र उवाह श्री रेवताराम पुत्र नैनाराम जाति-
जाह निवारी- मीठीघासरा (पनावडा) तहसील-बाभुस
जिला- बाड़मेर व उतिवारी लाहम के रूप में उतिवारी
संपत्ती- 1 स्वयं भू-1 - श्री राजाराम पुत्र मंगलाराम
जाति- जाह निवारी- मीठीघासरा (पनावडा) तहसील-बाभुस
जिला- बाड़मेर उा वापस- पत्र पैसा विना गमा जिसे
शामिल पत्रावली विना गमा। वारी बहील श्री उड-
पक्षीय बहाल दुनी गरी, पत्रावली के संलग्न राजाव
रैडस व उतिवारी संपत्ती- 1 द्वारा उस्तुत ईकवालिम
जवाबदावा तथा वारी व उतिवारी लाहम के रूप में
उस्तुत वापस- पत्रों का कवलेडन करने के बाद वारी
का वापस स्वीकार विना जाह वारी का वापस स्वीकार
निर्णय मलय के लिखा जाह व शामिल पत्रावली विना
गमा। मॉलिम डिक्ली पत्रा जाह दोउर पत्रावली मेल
अुमार ही, दर्ज नम्बर में उय ही दाखिल दस्तार ही।

(Signature)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बायतु

(पीठासीन अधिकारी राजस्व लोक अदालत : न्याय आपके द्वार 2018)

राजस्व वाद संख्या- 68/2018 राजस्व लोक अदालत कैम्प-पनावड़ा

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. जसाराम पुत्र ताजाराम 2. रामलाल पुत्र ताजाराम 3. चेतनराम पुत्र ताजाराम 4. भंवरलाल पुत्र ताजाराम 5. भीखाराम पुत्र ताजाराम जातियान्-जाट, निवासीयान्-मीठियासरा, पनावड़ा, तहसील-बायतु, जिला-बाड़मेर		1. ताजाराम पुत्र मंगलाराम जाति जाट, निवासी मीठियासरा, पनावड़ा, तहसील-बायतु, जिला-बाड़मेर 2. शाखा प्रबन्धक, एसबीबीजे, बायतु 3. तहसीलदार, बायतु

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955.

:- निर्णय :-

दिनांक 01/06/2018

वादीगण ने यह राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरुद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 की पैतृक कब्जाशुदा खातेदारी की भूमि मौजा मीठियासरा पटवार मण्डल पनावड़ा तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 348, 349, 350 रकबा कमशः 00.07, 00.04, 147.15 बीघा कुल रकबा 148.06 बीघा में आई हुई है। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 एक ही पूर्वज मंगलाराम के वंशज है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 वादी के पिता है। वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादीगण के दादा स्व. मंगलाराम के कब्जे काश्त की थी तथा सेटलमेंट के समय वादीगण के दादा मंगलाराम के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ व सेटलमेंट से लेकर आज दिन तक वादग्रस्त भूमि पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 का संयुक्त रूप से 1/6-1/6 हिस्से पर कब्जा काश्त है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि वादीगण की पैतृक भूमि है और वादीगण अपने पैतृक भूमि में हिन्दू उत्तराधिकारी है और हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा है तथा वादीगण अपने हिस्से अनुसार भूमि का बाहामी बंटवाड़ा कर काबिज है। क्योंकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार हिन्दू पुरुष के पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र का विधि अनुसार जन्म से ही सहदायिकी अर्थात् पैतृक सम्पत्ति में अधिकार प्राप्त हो जाता है। अतः वादग्रस्त समस्त भूमि में प्रत्येक वादीगण 1/6-1/6 हिस्से की घोषणा करवाने के अधिकारी है एवं जिस हेतु घोषणा का वाद इस न्यायालय में पेश किया गया है।

पक्षकारान् को कैम्प में सुना गया एवं वादीगण द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र पेश किये गये तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 द्वारा उपस्थित होकर, इकबाली जवाब लिखित में पेश कर, वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के समस्त पदों को स्वीकार करते हुए, वादग्रस्त भूमि में प्रत्येक वादीगण का


सहायक कलक्टर (SDO)

1/6-1/6 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 स्वयं का 1/6 हिस्सा घोषित करने की पूर्ण सहमति प्रदान की है।

न्यायालय द्वारा पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 का इकबाली जवाब शामिल पत्रावली कर, वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 को सुना गया। चूंकि वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादीगण के दादा स्व. मंगलाराम के कब्जे काश्त की थी एवं सेटलमेंट के समय वादीगण के दादा मंगलाराम के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ था तथा वादीगण स्व. मंगलाराम के विधिक वारिसान् है तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा बनता है व वादग्रस्त समस्त भूमि में प्रत्येक वादीगण 1/6-1/6 हिस्से की घोषणा करवाने के अधिकारी है।

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया वाद-पत्र स्वीकार कर, अन्तिम डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा मीठियासरा पटवार मण्डल पनावड़ा तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 348, 349, 350 रकबा क्रमशः 00.07, 00.04, 147.15 बीघा कुल रकबा 148.06 बीघा भूमि में वादी संख्या 1 से 5 प्रत्येक को 1/6-1/6 हिस्से व प्रतिवादी संख्या 1 को 1/6 हिस्से का सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादीगण का हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से के साथ-साथ संबंधित बैंक में रहन रहेगा। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा पक्षकारान् अपना-अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 01.06.2018 को राजस्व लोक अदालत कैम्प पनावड़ा में सुनाया गया।


पीठासीन अधिकारी (SDQ)
पीठासीन अधिकारी, मण्डल अधिकारी,
एवं पदेन, सहायक कलेक्टर, बायतु

अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, बायतु

राजस्व लोक अदालत : न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प माडपुरा बरवाला

पीठासीन अधिकारी श्री हेताराम चौहान R.A.S.

अनवान्

वादीगण

बनाम

प्रतिवादीगण

1. जसाराम पुत्र ताजाराम
2. रामलाल पुत्र ताजाराम
3. चेतनराम पुत्र ताजाराम
4. भंवरलाल पुत्र ताजाराम
5. भीखाराम पुत्र ताजाराम

जातियान्-जाट,
निवासीयान्-मीठियासरा, पनावड़ा,
तहसील-बायतु, जिला-बाड़मेर

1. ताजाराम पुत्र मंगलाराम जाति जाट,
निवासी मीठियासरा, पनावड़ा,
तहसील-बायतु, जिला-बाड़मेर
2. शाखा प्रबन्धक, एसबीबीजे, बायतु
3. तहसीलदार, बायतु

दावा बाबत 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व वाद संख्या- 68/18.

निर्णय दिनांक :- 01.06.2018

वादी की ओर से वकील श्री जगदीश गोदारा की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 01.06.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 में (नाम पीठासीन अधिकारी) हेताराम चौहान, उपखण्ड अधिकारी, बायतु के समक्ष अन्तिम निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा मीठियासरा पटवार मण्डल पनावड़ा तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 348, 349, 350 रकबा क्रमशः 00.07, 00.04, 147.15 बीघा कुल रकबा 148.06 बीघा भूमि में वादी संख्या 1 से 5 प्रत्येक को 1/6-1/6 हिस्से व प्रतिवादी संख्या 1 को 1/6 हिस्से का सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादीगण का हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से के साथ-साथ संबंधित बैंक में रहन रहेगा। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार बायतु निर्णयनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 01.06.2018 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।



सहायक कलक्टर (SDO)
(हेताराम चौहान)

पीठासीन अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी,
एवं पदेन, सहायक कलक्टर, बायतु

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामिल कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	